न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120008152022
परिवाद संख्या–15/2022
सोनी बनाम राजकुमार आदि।
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–10.06.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मेरी शादी दिनांक 28.02.2017 को राजकुमार के साथ हुई थी। मुझे ससुरालियों द्वारा एक–डेढ साल सही से रखा। फिर मेरे से चार लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग पति राजकुमार, जेठ मनोज कुमार, सास प्रकाशी देवी व जेठानी सोनी द्वारा की गयी थी। ससुरालीजनों/विपक्षीगण द्वारा मेरे साथ कई बार मारपीट की गयी तथा गाली–गलौज करते थे। मेरे पापा कई बार समझाने गये। लगभग ढाई साल पहले मेरे पापा गये, तो उनके साथ मारपीट व गाली गलौज की गयी और कहा चार लाख रुपये दे दो। बरना आप लोगों को जान से मार डालेंगे। आये दिन मुझे धमकी देते रहते हैं। थाने गयी, परन्तु कोई सुनायी नहीं हुई। दिनांक 28.12.2021 को जरिये रजिस्ट्री श्रीमान पुलिस अधीक्षक औरैया व श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी सोनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्लू0–1 राजेश कुमार, साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय शंकर व साक्षी पी0डब्लू0–3 अखिलेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा थाना प्रभारी बिधूना को प्रेषित प्रार्थना की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस अधीक्षक औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, श्रीमान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण राजकुमार, मनोज कुमार, प्रकाशी देवी व सोनी के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण राजकुमार, मनोज कुमार, प्रकाशी देवी व सोनी के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह

करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738